



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 384553

बैनामा अंकन-38,06,150/-रुपये,  
 जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्धारित दर से अंकन-24,20,000/-रुपये,  
 स्टाम्प शुल्क-2,67,000/-रुपये,  
 उत्तर प्रदेश सरकार संस्थागत वित्त कर एवं निबन्धन अनुभाग-5 अधि सूचना आदेश संख्या  
 सोविप्रकोनि0 5-2756/11-2008-500 (1165) /2007 लेखनरू आदेश दिनांक 30.06.  
 2008 के अनुसार शेड्यूल 1 बी के अनुच्छेद 23 के खण्ड क (1) आधार पर केता पुरुष  
 होने की दशा में स्टाम्प 5 % व आवास विकास शुल्क 2 % कुल स्टाम्प 7 % के हिसाब  
 से अदा किया गया है।

लेखपत्र का संक्षिप्त विवरण

- 1-भूमि का प्रकार-
- 2-वार्ड/ परगना-
- 3-मौहल्ला/ग्राम-
- 4-सम्पत्ति का विवरण( सम्पत्ति नं०)


कृषि,  
 ...../डासना,  
 ग्राम शाहपुर बम्हैटा,  
 खाता नं०-2062,  
 खसरा नं०-1522

*Rajendra*

*[Signature]*

T D P L





उत्तर प्रदेश OFFICER UTTAR PRADESH

" B 384552

B 384552

2

- |  |                             |
|--|-----------------------------|
| 5-मापन की ईकाई( हेक्टेयर/वर्ग मीटर)            | 0.1224 है०,                 |
| 6-सम्पत्ति का क्षेत्रफल-                       | 0.1224 है०,                 |
| 7-सड़क की स्थिति( परिशिष्ट के अनुसार)          | सड़क से 500 मीटर दूरी ,     |
| 8-अन्य विवरण (9 मीटर रोड/कार्नेर इत्यादि)      | नहीं है,                    |
| 9-सम्पत्ति का प्रकार-                          | कृषि भूमि,                  |
| 10-पेडो का मूल्यांकन-                          | नहीं है,                    |
| 11-बोरिंग कुआ/अन्य-                            | नहीं है ,                   |
| 12-भूमि की सरकारी दर-                          | 80,00,000/-रुपये प्रति एकड, |
| 13-सहकारी आवास समिति के सदस्य से सम्बन्धित है- | नहीं-                       |
| 14-प्रतिफल की धनराशि-38,06,150/-रुपये मे,      |                             |

Rojindra

Signature





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 384551

B 384551

3

प्रथम पक्ष विक्रेता की संख्या (1)

1- श्री राजेन्द्र प्रसाद पुत्र श्री जगन सिंह निवासी ग्राम शाहपुर बग्हेटा परगना डासना तहसील व जिला गाजियाबाद। I.D.P. - (FVX 7843246)

द्वितीय पक्ष विक्रेता की संख्या (1)


1- जयपुरिया ड्यूरोबिल्ड प्रा0लि0 एस-25, मैन मार्केट, ग्रीन पार्क, नई दिल्ली, (पेन नं0-ए.ए. बी.सी.जे. 7480 आर.) द्वारा श्री रिनेश कुमार पुत्र श्री सत्यपाल सिंह निवासी एस-25, मैन मार्केट, ग्रीन पार्क, नई दिल्ली-

इस विक्रय पत्र में विक्रेता / क्रेता के समस्त उत्तराधिकारी एवं वैधानिक एवं न्यायाधिक प्रतिनिधिगण सम्मिलित समझे जावेंगे।

क्रेता व विक्रेता अनुसूचित जाति/जनजाति से नहीं है।

Rajendra





उत्तर प्रदेश LUCKNOW PRADESH

09/08/2010

B 384550

4

जिसके विक्रय मे स्टाम्प अधिनियम की धारा 27(1) हका सत्यतापूर्वक अनुपालन किया गया है, यह भूमि इन्टीग्रेटेड टाउनशिप के विकास हेतु कय की जा रही है जिसके लिये केता के पास इन्टीग्रेटेड टाउनशिप विकसित करने का लाईसेंस भी है तथा स्टाम्प शासनादेश संख्या 2835/8-1-09-68 विविध/09 दिनांक 11.08.2009, जिलाधिकारी गाजियाबाद की अध्यक्षता मे हुई बैठक के दौरान लिये गये निर्णयानुसार तथा जिलाधिकारी गाजियाबाद के पत्र संख्या 48/सी.आर.सी./11 दिनांक 31.01.2011 के अनुसार स्टाम्प नियमानुसार अदा किया जा रहा है।

विदित हो कि एक किला, कृषि भूमि ग्राम शाहपुर बम्हटा परगना डासना तहसील व जिला गाजियाबाद के खाता सं०-2062 के खसरा नम्बर-1522 रकवई-0.4170 है० का प्रथम पक्ष संकम्पीय भूमिधर मालिक व काबिज है, परन्तु प्रथम पक्ष अपने सम्पूर्ण भाग रकवई-0.4170 है० मे से भूमि रकवई-0.1224 है० को विक्रय कर रहा है, जिसका

Rajendra





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

11 20 15 49

B 384549

5

प्रथम पक्ष संकमणीय भूमिधर मालिक व काबिज है। उक्त भूमि आज दिन तक हर प्रकार के बन्धकभार आदि से पाक व साफ है कही पर किसी प्रकार से ग्रस्त नहीं है। उक्त

*Rafindia*

*[Signature]*



*[Signature]*







उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

384548

B 384548

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50

6

भूमि को विक्रय करने में किसी प्रकार की कोई कानूनी त्रुटि या दोष नहीं है उक्त भूमि को विक्रय करने का मुझ प्रथम पक्ष को पूर्ण अधिकार प्राप्त है। उक्त भूमि आज दिन तक

*Rajendra*







उत्तर प्रदेश UTAR PRADESH

384547


B 384547

हर प्रकार के बन्धकभार से मुक्त है कही अन्य आड रहन, बय, हिवै, महायदाबय, जमानत, बैंक लौन आदि से ग्रस्त व बन्धक नहीं है। विकय भूमि को खरीदने से पूर्व

*Rajendra*

*[Signature]*






उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

V 580465


8

क्रेता ने प्रत्येक प्रकार की अपनी सन्तुष्टि स्वयं कर ली है। अतः अब मुझ विक्रेता ने उपरोक्त भूमि को अपनी खुशी व रजामन्दी से शुद्ध बुद्धि व स्वस्थ इन्द्रियो की दशा में

*Rajendra*







उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

V 580466

9

मय तमामी हकूक मालिकाना व दाखली व खारजी हर किरम मय कब्जा आदि आदि सहित भाज की तिथि मे बदले अंकन-38,06,150/-रुपये( अडतीस लाख छ हजार

Rajendra





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

V 580467


10

एक सौ पचास रुपये) आधे जिसके अंकन-19,03,075/-रुपये होते हैं मैं हाथ द्वितीय पक्ष के तब उपरोक्त को कतई विक्रय कर दिया तथा बेच दिया है तथा कुल धनराशि प्रथम

*Rajinder*

*Finerly*






11


पक्ष ने द्वितीय पक्ष केता से निम्न प्रकार वसूल पा ली है। बाबत कीमत कुछ बाकी नहीं रहा है, और न आईन्दा होगा, अब इकरार यह है कि उक्त भूमि के मूल्य धन तथा किसी भी अंग

*Rajendra*

*[Signature]*









से प्रथम पक्ष विक्रेता का कोई सम्बन्ध नहीं रहा है, ना आईन्दा होगा, विक्रय भूमि कृषि हेतु बय है। विक्रय भूमि पर मौके पर कब्जा द्वितीय पक्ष का पूर्ण व वास्तविक रूप से करा

*fajuda*

*[Signature]*

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH


V. 579308

13

दिया गया है। गर्ज है कि यदि मुझ विक्रेता के अनाधिकार से या मेरे वास्सान की

*Rojadu*





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

V 581408


14

दावेदारी आदि से या किसी कानूनी नुक्स या ना मालूम के कारण उक्त भूमि का कुल या

*Rajwade*

*[Signature]*





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH


V 581409

15

कुछ अंश के लिये उपरोक्त के कब्जा व दखल मालिकाना से निकल जाने वाली दशा मे उक्त

*Revised*





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

V 581410

16

भूमि की समस्त धनराशि मये ब्याज व हर्जे-खर्चे आदि के मुझ विक्रेता व मेरे वारिसान की

*for sale*

*[Signature]*






उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

17

V 581216

चल अचल सम्पत्ति से जिस प्रकार चाहे वशूल करले। कोई किसी प्रकार की आपत्ति  
कोपुत्तु.






उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH


V 581217

18

नहीं होगी। विक्रय भूमि ग्राम समाज पट्टे व भुदान की नहीं है। विक्रय भूमि मैन रोड पर

*Rajendra*





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

V 581218

19

स्थित नहीं है। उक्त भूमि मुख्य सड़क से 500 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित है। उक्त

*Rajendra*





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH


V 579932

20

भूमि की 100 मीटर की त्रिज्या में कृषि भूमि है। निर्धारित दर 80,00,000/-रुपये प्रति एकड़ है। परन्तु स्टांम्प ड्यूटी कय-विकय धनराशि पर नियमानुसार अदा की गयी है। आस

*Rajendra*





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH


V 579933


21

पास की भूमि का भाव कम है। बाजारी कीमत उपरोक्त सही है। उक्त भूमि का पूर्व में कोई अनुबन्ध पत्र पंजीकृत नहीं किया गया है। विक्रय भूमि में कोई पेड़ व नलकूप नहीं है। विक्रय भूमि केता व विक्रेता के कथनानुसार निर्देशानुसार पंजीकृत किया गया है। जिसकी समस्त

*Rajinder*

*[Signature]*





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH


V 579934


22

जिम्मेदारी केता व विकेता की होगी। इसमें एडवोकेट का अपना कोई कथन नहीं है।  
विकित भूमि सदा से भूमिधर रही है तथा आज तक कृषि के प्रयोग में आ रही है,  
सम्बन्धित खसरा खतौनी में यह भूमि भूमिधरी अंकित है, जिसमें दोनों फसल रवि व खरीफ

*Rajendra*

*[Signature]*






उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH


V 580172


23

होती है, विकीत भूमि कृषि भूमि है। विकीत भूमि में जाने के लिए कोई रास्ता कायम नहीं है, विकीत भूमि की चतुर्थ सीमा मानचित्र में प्रदर्शित की गई है, विक्रय पत्र में उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश अधिनियम अथवा किसी अन्य नियम का कोई उल्लंघन किसी

*Rajendra*







उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH


V 580173


24

प्रकार का नहीं है, विकित भूमि के विषय में आज तक के समस्त राजकीय देयों का भुगतान प्रथम पक्ष विक्रेता द्वारा कर दिया गया है। भविष्य के समस्त राजकीय देयों की जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष केला की रहेगी।

*Popradu*

*[Signature]*







उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

V 580174

25

अतः यह विक्रय पत्र लिख दिया कि सनद रहे और समय पर काम आवे।

सीमा-


पूरब-खसरा नं०-1521,  
उत्तर-खसरा नं०-1538,

पश्चिम-खसरा नं०-1529

दक्षिण-खसरा नं०-1522 का शेष भाग,

*Signature*


*Signature*




*Signature*









उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

N 306889


26

विवरण वसूल याबी कुल धनराशि का-विकेता ने केता से पूर्ण धनराशि वसूल पाई।

रकम	चैक नं०	दि०	बैंक का नाम
9,51,538/-	074804	07.07.2011	पंजाब एण्ड सिंध बैंक मद्रास होटल बिल्डिंग कनाट सर्कस, नई दिल्ली-01
28,54,612/-	074805	05.10.2011(पी.डी.सी.)	पंजाब एण्ड सिंध बैंक मद्रास होटल बिल्डिंग कनाट सर्कस, नई दिल्ली-01,

*Rajinder*

*[Signature]*





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

N 306890

27

Rajendra

*[Handwritten Signature]*

गवाह-

Rajendra Kumar Singh, B.A. (DLN-22500)  
S/73 Chintan Vihar GZB U.P.

DL-22500

गवाह-

राजीव शर्मा, एलएलबी, प्रसाद यादव  
टीकन शाहपुरा, गजपुरा, (DL-5546/T)

*[Handwritten Signature]*  
Rajeev Yadav

दिनांक 07-07-2011 ई0 मसौदा धीरेन्द्र कुमार एडवोकेट चै0नं0-88ए, तहसील कम्पाउंड  
गा0बाद। मीबाईल नं0-9971401628,

धीरेन्द्र कुमार  
DL एडवोकेट  
फैसल नं0-810

